[2018] 4 एस. सी. आर. 362

गुरविंदर सिंह @सोनू ई. टी. सी.

वी.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(आपराधिक अपील सं। 2301-2302 2014)

08 मई, 2018

[रंजन गोगोई और आर. भानुमती, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 304 भाग I, 300 अपवाद 4,302 आर/डब्ल्यू 34

- हत्या-भूमि विवाद को निपटाने के लिए दल इकट्ठे हुए-का आदान-प्रदान

शब्दों के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच हाथापाई हुई-अपीलकर्ता जी लाया गया कमरे से कुल्हाड़ी-अपीलार्थी एस ने पीड़ित को हाथों से पकड़ लिया और जी

पीड़ित के सिर पर कुल्हाड़ी से वार-अपीलकर्ताओं को भी चोटें आईं-पाँच दिनों के बाद शिकायत दर्ज कराई गई-पीड़ित ने दम तोड़ दिया

अभियुक्त एस यू/एस। 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 और तदनुसार सजा सुनाई-स्थगित उच्च न्यायालय द्वारा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः चूंकि दोनों आरोपी

घटना में लगी चोटों, आरोपी द्वारा लगी चोटों का विवरण न देना महत्वपूर्ण है

वहाँ कोई नहीं था।

दोनों तरफ से उकसावा-शब्दों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप हाथापाई हुई

- डॉक्टर का सबूत कि पीड़ित घटना के समय नशे में था

घटना-यह इस परिस्थिति में था, अपीलार्थी जी अंदर चला गया

कमरा और एक कुल्हाड़ी लाया और पीड़ित के सिर पर मारा-इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि हमला किसने शुरू किया-दोनों पक्ष थे

निहत्थे-हालांकि आरोपी जी ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया लेकिन पीड़ित लगभग एक महीने तक जीवित रही-इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया-प्राथमिकी दर्ज करने में भी पांच दिनों की देरी हुई-आरोपी का अधिनियम "अपवाद 4" के तहत आता है। 300 - जिस तरह से चोट स्पष्ट रूप से लगी थी, उस तरीके से इस्तेमाल किया गया हथियार

यह स्थापित करें कि अपीलकर्ताओं का इरादा चोट पहुँचाना था जो

प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था-इसे ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को यू/एस का दोषसिद्धि। 302 एस के साथ पढ़ें।

34 एक यू/एस में संशोधित। 304 भाग-I और कारावास की सजा

सात साल के लिए।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 जब शब्दों का आदान-प्रदान होता था,

दोनों पक्षों के बीच हाथापाई। उसी लेन-देन में जहाँ

362 गुरविंदर सिंह @सोनू ई. टी. सी. वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

' एच 'पर हमला किया गया, आरोपी पक्ष को भी चोटें आईं। एफ. आई. आर. में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अलावा, अभियोजन पक्ष ने आरोपी को लगी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चूंकि घटना में दोनों अभियुक्तों को चोटें आई हैं, इसलिए अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना महत्वपूर्ण है। अभियुक्त को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय को घटना की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए था। [पैरा 12] [368-एच; 369-ए-बी]

तखाजी हीराजी बनाम। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंग और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 145-संदर्भित।

1.2 सबूतों से यह स्पष्ट है कि दोनों परिवार इकट्ठा हो गए हैं और वे हल करने के लिए ट्यूबवेल के पास बात कर रहे थे

कुल्हाड़ी और मृतक 'एच' के सिर पर मारा। इसी घटना में आरोपी को भी चोटें आई हैं। [पैरा 13] [369-सी-डी] 1.3 हमला किसने शुरू किया, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। दोनों पक्ष निहत्थे थे। जब आदान-प्रदान हुआ

दोनों पक्षों के बीच बातचीत, आरोपी 'जी. एस.' कमरे के अंदर गया और कुल्हाड़ी लेकर आया और 'एच.' के सिर पर चोटें लगाईं। पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट से पता चलता है कि मृतक 'एच' जीवित है।

कई फ्रैक्चर के साथ सिर की चोटें, मस्तिष्क के दाहिने फ्रंट से टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र में दाएं फ्रंट से टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र, द्विपक्षीय टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र और दाएं पैरिटल क्षेत्र में रक्तस्रावी चोटें। हालाँकि, मृतक 'एच' लगभग एक महीने तक जीवित रहे और उन्होंने 01.12.2007 पर चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

हालांकि आरोपी 'जीएस' ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जो एक दुर्जेय हथियार है, लेकिन 'एच' लगभग एक महीने तक जीवित रहा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने इसका अनुचित लाभ उठाया है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में भी पाँच दिनों की देरी हुई; इसका कारण यह था कि मामले को निपटाने के लिए बातचीत अभी भी चल रही थी। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त का कार्य गिर जाएगा।

आई. पी. सी. की धारा 300 के "अपवाद 4" के तहत। [पैरा 14] [369-ई-एच] [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुयान वी। उड़ीसा राज्य (2004) 11 एससीसी 395:

[2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 395-संदर्भित। 1.4 आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड में दो हैं -

जिसका उद्देश्य उस चोट का कारण बनना है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया जाता है और अपीलार्थियों को सजा दी जाती है। सात वर्ष के कारावास की सजा। [पारस 17-19] [371-D E; 372-B-C, D]

नानकुनू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 3 एससीसी

317 [2016] 4 एस. सी. आर. 627-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2001) 6 एससीसी 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2004] 3 पूरक। एससीआर 395

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2016] 4 एससीआर 627

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 2301-2302 2014 से।

2010 के सी. आर. ए. सं. 1176 डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.2012 के निर्णय और आदेश से और

1222 2010 का डी. बी.

अहमद फराज खान, दीपक गोयल, अपीलार्थियों के वकील।

सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री श्रद्धा भार्गव, मोहित डी. राम, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

गुरविंदर सिंह @सोनू ई. टी. सी. वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1. ये अपीलें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के सी. आर. ए. No.1176 डी. बी. और 2010 के सी. आर. ए. No.1222 डी. बी. में पारित दिनांक 17.12.2012 के फैसले से उत्पन्न होती हैं और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और निचली अदालत द्वारा पारित सजा की पुष्टि की।

2. अभियोजन पक्ष का मामला है कि सुखविंदर सिंह (पीडब्लू-6) मृतक इरफान सिंह का बेटा है। सतनाम सिंह सबसे छोटे हैं।

मृतक हर्भजन सिंह का भाई गाँव में अलग रह रहा है और हर्भजन सिंह के दो अन्य छोटे भाई इटली चले गए हैं। अन्य भाइयों के हिस्से में आने वाली भूमि की खेती सतनाम सिंह द्वारा की जा रही है; लेकिन वे चाहते थे कि उनकी भूमि की खेती इरफान सिंह द्वारा की जाए। सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए, मामला कई बार पंचायत के पास गया; लेकिन हल नहीं हो सका। घटना से कुछ दिन पहले, कुत्ता

सतनाम सिंह लापता हो गया, जिसने कथित कुत्ते के लापता होने के लिए इरफान सिंह के परिवार को दोषी ठहराया। 02.11.2007 को लगभग 04.00 शाम को, दोनों परिवार भूमि और लापता होने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। कुत्ता। शिकायतकर्ता-सुखविंदर सिंह, मृतक हरभजन सिंह, उसके चाचा सतनाम सिंह, सतनाम सिंह का बेटा सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू और

अन्य ग्रामीण संदीप सिंह, माखन सिंह ने भी उक्त सभा में भाग लिया, जो गांव दसुपुर के पास स्थित ट्यूबवेल पर हुई थी। समझौते के लिए चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक हुई और अपीलकर्ता सतनाम सिंह और सुखविंदर सिंह आपस में भिड़ गए। उन्हें मुट्ठी और लात मारी। जमीन बंटवारे के लिए सबक सिखाने के लिए सतनाम सिंह ने भी 'लालकारा' का सहारा लिया, ताकि वह इरफान सिंह को पकड़ सकें। इस बीच, अपीलकर्ता सुखविंदर सिंह ट्यूबवेल के पास के कमरे से कुल्हाड़ी लेकर आए और सतनाम सिंह ने इरफान सिंह को अपनी बाहों से पकड़ लिया। गुरबिंदर सिंह ने हरभजने सिंह को कुल्हाड़ी से मारा

3. शिकायतकर्ता सुखविंदर सिंह अपने पिता को सिविल अस्पताल, कर्तारपुर ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद, इरफान सिंह को जालंधर के जोशी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उन्हें आगे के इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद भी, चूंकि समझौते की बात चल रही थी, इसलिए घटना के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। चूंकि मामला नहीं हो सकता था हल होने पर, सुखविंदर सिंह ने 07.11.2007 पर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर 2007 की प्राथमिकी No.178 आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दर्ज की गई थी, जिसे [2018] 4 एस. सी. आर. कहा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ। जाँच अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच शुरू की गई। आई. डी. 1 पर चोटों के कारण हर्भजन सिंह की मौत हो गई और मामले को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 में बदल दिया गया। डॉ. एम. बी. बाली, चिकित्सा अधिकारी (पीडब्लू-1) ने हर्भजन सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया। आगे की जाँच पूरी की गई और अपीलकर्ताओं/अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

4. अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए अभियोजन पक्ष ने सुखविंदर सिंह (पीडब्लू-6), संदीप सिंह (पीडब्लू-7), डॉ. एम. बी. बाली,

चिकित्सा अधिकारी (पीडब्लू-1) और अन्य गवाह। अपीलार्थियों/अभियुक्तों से धारा 313 Cr.P.C के तहत पूछताछ की गई।

साक्ष्य और परिस्थितियाँ और अभियुक्त ने उन सभी का खंडन किया। अभियुक्त की ओर से बचाव पक्ष के गवाह डॉ. मोहिंदरजीत सिंह (डीडब्ल्यू-1)

और कुलदिप कौर (डी. डब्ल्यू.-2) से भी पूछताछ की गई।

5. साक्ष्य पर विचार करने पर निचली अदालत ने कहा कि सुखविंदर सिंह (पीडब्लू-6) और संदीप सिंह (पीडब्लू-7) के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित से परे स्थापित किया है।

सन्देह हो रहा है। निचली अदालत ने बचाव पक्ष के इस कथन को खारिज कर दिया कि आरोपी के नौकर मिट्ठू ने मृतक इरफान सिंह को अविश्वसनीय रूप से चोट पहुंचाई थी। ऐसे निष्कर्षों पर, निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दोषी ठहराया

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत सुखविंदर सिंह और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत सतनाम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

कारावास और Rs.10,000/- प्रत्येक का जुर्माना भी देना। पीड़ित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया

अदालत ने दोषसिद्धि और उस पर लगाए गए दंड की पुष्टि की विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी। इसलिए यह अपील की गई है।

6. दोषसिद्धि के फैसले पर जोर देते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में पांच दिनों की देरी हुई थी, इसलिए अभियोजन मामले को लेकर गंभीर संदेह पैदा होते हैं। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को भी चोटें आई हैं जिसके लिए अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि भले ही अभियोजन पक्ष के आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन साक्ष्य से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आई. पी. सी. की धारा 307 के

तहत अपराध नहीं किया जाता है क्योंकि हमला अचानक झगड़ा में था जब पक्ष भूमि विवाद को निपटाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

7. जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सिर की चोटों की प्रकृति पर विचार करते हुए

मृतक पर थोपा गया, ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड करने में उचित ठहराया गया था

8. चश्मदीद गवाह सुखविंदर सिंह (पीडब्लू-6) और संदीप सिंह (पीडब्लू-7) के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है कि आरोपी कारण के लिए जिम्मेदार थे हर्भजन सिंह का निधन इसी घटना में अपीलार्थी सतनाम सिंह को भी चोटें आईं। उसी दिन डॉ. मोहिंदरजीत सिंह (डी. डब्ल्यू.-1) ने आरोपी की जांच की।

सतनाम सिंह ने सतनाम सिंह के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों का उल्लेख कियाः

1. सामने के क्षेत्र में 6 से. मी. x 0.5 से. मी. का घाव;

2. बाएँ अग्र क्षेत्र पर 5,5 से. मी. × 0.5 से. मी. का घाव।

इलाज के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई।

उसी दिन डॉ. मोहिंदरजीत सिंह (डी. डब्ल्यू.-1) ने भी आरोपी सुखविंदर सिंह की जांच की और व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया।

गुरिंदर सिंह के बारे मेंः

1. एक कटा हुआ घाव 3 से. मी. × 0.5 से. मी. दाएँ अस्थायी पार्श्विक क्षेत्र;

2. घर्षण दाहिने तरफ का अगला क्षेत्र 0.5 सेमी × 0.5 सेमी; 3. घाव अग्र-भुजा 3 से. मी. x 0.5 से. मी.

9. अपीलार्थियों का तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है

अभियुक्त और इसलिए अभियोजन के मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। 10. यह एक अपरिवर्तनीय प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है कि जैसे ही आरोपी को एक ही लेन-देन में चोटें आईं, शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था-यह एक नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष चोटों की व्याख्या करने के लिए बाध्य है और इसकी विफलता पर, अभियोजन पक्ष [2018] 4 एस. सी. आर.

मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष पर बोझ डालने से पहले, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः - (i) उसी लेन-देन में अभियुक्त को चोटें आईं; और (ii) अभियुक्त को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की हैं।

11. इस न्यायालय ने चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के प्रभाव पर विचार किया

तखाजी हीराजी बनाम में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा समर्थित। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंह और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 145 और के रूप में आयोजित

इसके अंतर्गतः

" 17. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देने का क्या प्रभाव पड़ता है। राजेन्द्र सिंह बनाम। बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 298,

राम सुंदर यादव बनाम। बिहार राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 365 और विजय सिंह बनाम। यू. पी. राज्य (1990) 3 एस. सी. सी. 190, तीनों न्यायाधीश पीठ के निर्णय, लगातार लिया गया विचार यह है कि इसे कानून के मामले के रूप में या हमेशा एक नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि जब भी आरोपी को उसी घटना में चोट लगी हो,

अभियोजन पक्ष चोट की व्याख्या करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने में अभियोजन पक्ष की विफलता पर अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तियों पर चोटों का स्पष्टीकरण न देने से पहले अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त व्यक्ति अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकते हैं, अदालत को इसके अस्तित्व से संतुष्ट होना होगा

दो शर्तेंः ((i) कि अभियुक्त व्यक्ति पर चोट गंभीर प्रकृति की थी; और (ii) ऐसी चोटें विचाराधीन घटना के समय लगी होनी चाहिए। चोटों की गैर-व्याख्या अधिक महत्व रखती है जब साक्ष्य शामिल होते हैं इच्छुक या पक्षपातपूर्ण गवाहों का या जहाँ बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में प्रतिस्पर्धा करता है। जहां साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां अदालत सच्चाई को झूठ से अलग कर सकती है, केवल यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया नहीं गया है, अपने आप में एकमात्र आधार नहीं हो सकता हैः

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और परिणामस्वरूप पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार कर दें। ” (रेखांकित करना जोड़ा गया)

12. वर्तमान मामले में, घटना ट्यूबवेल के पास हुई थी जहां दोनों पक्ष भूमि विवाद को निपटाने के लिए एकत्र हुए थे।

जब नोकझोंक हुई तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। उसी लेन-देन में जहां हरभजन सिंह पर हमला किया गया था, गुरविंदर सिंह @सोनू ईटीसी. वी।

आरोपी पक्ष को भी चोटें आईं। आवारा के अलावा, शिकायतकर्ता सुखविंदर सिंह द्वारा प्राथमिकी में दिए गए बयान में अभियोजन पक्ष ने आरोपी को लगी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चूंकि घटना में दोनों अभियुक्तों को चोटें आई हैं, इसलिए अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

महत्व। अभियुक्त को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय को घटना की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए था। 13. साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों परिवार एकत्र हुए हैं और वे भूमि विवाद को हल करने के लिए ट्यूबवेल के पास बात कर रहे थे।

दोनों तरफ से कोई उकसावा नहीं हुआ। सुखविंदर सिंह (पीडब्लू-6) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि बातचीत हुई थी जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई थी। से आया है

डॉ. मोहिंदरजीत सिंह (डी. डब्ल्यू.-1) का सबूत है कि घटना के समय हरमन सिंह नशे में थे। अस्पताल में भर्ती होने के समय, डॉ. मोनिंदरजीत सिंह (डी. डब्ल्यू.-1) ने हर्भजन सिंह की जाँच की।

यह देखा गया कि "रोगी की सांस में मादक गंध मौजूद थी"। इस स्थिति में, अपीलार्थी गुरिंदर सिंह ट्यूबवेल से सटे कमरे के अंदर गया था और कुल्हाड़ी लेकर आया था और मृतक इरफान सिंह के सिर पर वार किया था। जैसा कि पहले बताया गया है, उसी घटना में आरोपी को भी चोटें आईं।

14. हमला किसने शुरू किया, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। दोनों पक्ष निहत्थे थे। जब दोनों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ दोनों पक्षों के आरोपी सुखविंदर सिंह कमरे के अंदर गए और कुल्हाड़ी लेकर आए और उनके सिर पर चोट पहुंचाई। पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट (Ex.PA) से, यह देखा गया है कि मृतक इरफान सिंह के सिर में कई फ्रैक्चर, मस्तिष्क के दाहिने फ्रंट टू टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र में दाहिने फ्रंट टू टेम्पोरो पैरिटल और टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र, द्विपक्षीय टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र और दाहिने पैरिटल क्षेत्र में रक्तस्रावी चोटों के साथ चोटें आई हैं। हालाँकि, मृतक इरफान सिंह लगभग एक महीने तक जीवित रहे और उन्होंने 01.12.2007 पर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हालाँकि आरोपी सुखविंदर सिंह ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जो एक दुर्जेय हथियार है, लेकिन

हर्भजन सिंह लगभग एक महीने तक जीवित रहे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने इसका अनुचित लाभ उठाया है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में भी पाँच दिनों की देरी हुई; इसका कारण यह था कि मामले को निपटाने के लिए बातचीत अभी भी चल रही थी। समग्रता को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों में, हमारे विचार में, अभियुक्त का कार्य आई. पी. सी. की धारा 300 के "अपवाद 4" के तहत आएगा।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. धारा 300 में "अपवाद 4" को लागू करने के लिए

यह स्थापित करना होगा कि अधिनियम बिना किए किया गया था

संपादन, जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में एक अचानक एल पर अपराधी के बिना अनुचित लाभ उठाया और बिना

क्रूर या असामान्य तरीके से।

16. आई. पी. सी. की धारा 300 के "अपवाद 4" के दायरे को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर भुइयां बनाम। उड़ीसा राज्य, (2004) 11 एस. सी. सी. 395, यह आयोजित किया गया था

देरः

" अचानक लड़ाई "का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर प्रहार। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने दम पर नहीं बढ़ाया हो आचरण ने उतना गंभीर मोड़ नहीं लिया होगा जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक योद्धा के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है। यदि मृत्यु हो जाती है तो अपवाद 4 की मदद ली जा सकती हैः (ए) बिना पूर्व-चिंतन के; (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य रूप से कार्य किए बिना।

तरीका; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी।

गुरविंदर सिंह @सोनू ई. टी. सी. वी. पंजाब राज्य और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "लड़ाई" हो रही है आई. पी. सी. की धारा 300 में अपवाद 4 को परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। एक लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह पर्याप्त नहीं है

दिखाएँ कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई नहीं था

पूर्वकल्पना। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने नहीं किया है

अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया। प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ है "अनुचित लाभ"। ” (रेखांकित करना जोड़ा गया)

17. विचाराधीन प्रश्न अपराध की प्रकृति है कि क्या यह आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I या भाग-II के तहत आता है। आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड में दो भाग हैं। पहले भाग के तहत, यह साबित किया जाना चाहिए कि हमला करने का इरादा था चोट जो मौजूद है और दूसरे भाग के तहत, यह साबित किया जाना चाहिए कि चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, मृतक इरफान सिंह पर सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था और उन्हें कई फ्रैक्चर हुए थे।

और मस्तिष्क के दाहिने फ्रंट-टू-टेम्पोरो-पैरिटल क्षेत्र में टेम्पोरो-पैरिटल क्षेत्र इन्फार्क्ट, द्विपक्षीय टेम्पोरल क्षेत्र और दाहिने पैरिटल क्षेत्र में रक्तस्रावी संदूषण। प्रकृति के सामान्य क्रम में, सिर में लगी चोट, मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अभियुक्त का इरादा उस चोट को हरभजने का था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। नानकुनू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 317, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 12. आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड तीन में प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए चोट की पर्याप्तता पर जोर दिया गया है। पर्याप्तता प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु की उच्च संभावना है। जब पर्याप्तता मौजूद होती है और मृत्यु होती है, तो इस तरह की चोट का कारण बनना अभिप्रेत है और इस तरह के अपराध का कारण हत्या है। चोट की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए, कभी-कभी [2018] 4 एस. सी. आर.

उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, कभी-कभी शरीर का वह हिस्सा जिस पर चोट लगी है और कभी-कभी दोनों प्रासंगिक होते हैं। प्रयुक्त हथियार की प्रकृति और चोट की स्थिति के आधार पर, कुछ मामलों में, प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए चोट की पर्याप्तता साबित की जानी चाहिए और इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है

तथ्य यह है कि मृत्यु वास्तव में हुई है।

18. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो मृतक के सिर पर चोटें आई हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर, मस्तिष्क के दाहिने फ्रंट से टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र में दाहिने फ्रंट से टेम्पोरो पैरिटल क्षेत्र इंफार्क्ट, द्विपक्षीय टेम्पोरो क्षेत्र और दाहिने पैरिटल क्षेत्र में रक्तस्रावी चोटें। जिस तरीके से चोट पहुँचाई गई थी, उस तरीके से इस्तेमाल किया गया हथियार स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अपीलकर्ताओं का इरादा उस चोट का कारण बनना था जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया जाए।

आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I के तहत।

19. परिणामस्वरूप, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया जाता है और अपीलार्थियों को कारावास की सजा दी जाती है।

सात साल के लिए और अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी गुरिन्दर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसने दस साल से अधिक की कैद झेली है, उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

कोई अन्य मामला। अपीलार्थी सतनाम सिंह को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

सजा की शेष अवधि की सेवा करते हुए, ऐसा न करने पर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

निधि जैन